"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 547] रायपुर, शनिवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2015— अग्रहायण 14, शक 1937

पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-19/2009/35. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

(1) नियम 1 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(1) ये नियम छत्तीसगढ़ पशुधन विकास विभाग (राजपत्रित पशु चिकित्सा) सेवा भर्ती नियम, 2011 कहलायेंगे."

(2) नियम 2 उप-नियम (ट) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(1) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ पशुधन विकास विभाग (राजपत्रित पशु चिकित्सा) सेवा."

(3) नियम 8 के उप-नियम (1) के खण्ड (च) का लोप किया जाये.

No. F 1-19/2009/35.— In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Veterinary (Gazetted) Recruitment Service Rules, 2011, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

(1) For sub-rule (1) of rule 1, the following shall be substituted, namely :-

"(1) These rules may be called the Chhattisgarh Livestock Development Department (Gazetted Veterinary) Services Recruitment Rules, 2011."

(2) For clause (k) of rule 2, the following shall be substituted, namely :-

"(K) "Service" means the Chhattisgarh Livestock Development Department (Gazetted Veterinary) Services;"

(3) Clause (f) of sub-rule (1) of rule 8 shall be omitted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुप कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.